विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 14037/22/मनरेगा/2016 भोपाल, दिनांक 21/11/2016

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रेदश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत,
   (समस्त) म.प्र.

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन तालाब निर्माण विषयक दिशा–निर्देश।

––0––

सितंबर एवं अक्टूबर, 2016 में मेरे द्वारा ली गई संभागीय समीक्षा बैठकों में संभागायुक्तों/कलेक्टरों/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत तालाब निर्माण के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. **स्थल का चयनः**

1.1 नवीन तालाब का निर्माण स्थानीय नदी/नाले पर किया जाना चाहिए। बड़ी नदी पर महात्मा गांधी नरेगा के तहत तालाब निर्माण बनाया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

1.2 तालाब निर्माण के लिए चयनित स्थल पर स्थानीय नदी/नाले के किनारे नदी/नाले के तल से अच्छी ऊँचाई पर होना चाहिए। इससे कम डूब क्षेत्र में अधिक जल संग्रहित होगा।

1.3 चयनित स्थान पर नदी/नाले का जल ग्रहण क्षेत्र 0.50 वर्ग किलोमीटर से 1.5 वर्ग किलोमीटर के बीच होना चाहिए। यदि जल ग्रहण क्षेत्र 0.5 वर्ग किलोमीटर से कम होगा तो जल की उपलब्धता तालाब को उपयोगी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जल ग्रहण क्षेत्र 1.5 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होने की दशा में तालाब में जल की आवक अधिक होगी और वर्षा ऋतु में किसी दिन विशेष में अतिवृष्टि की स्थिति में तालाब टूटकर बहने की स्थिति बनेगी।

1.4 चयनित स्थान पर जल ग्रहण क्षेत्र 0.5 वर्ग किलोमीटर से 1.5 वर्ग किलोमीटर के मध्य है अथवा नहीं इसके लिए साधारणतः नदी/नाले के उद्गम से चयनित स्थल से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर नदी/नाले का उद्गम है तो उसके जल ग्रहण क्षेत्र को 1 वर्ग किलोमीटर माना जा सकता है।

2. **<u>बांध निर्माण के लिए स्थान की तकनीकी उपयुक्तताः</u>**

2.1 बांध निर्माण के लिए नदी/नाले का ऐसा हिस्सा जो तल से अधिक ऊँचाई पर हो और किनारे सकरे हों वह उपयुक्त होता है।

2.2 यदि नदी/नाले के तल में गहराई तक रेत है तो वह बांध निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है। ऐसे स्थल पर रिसाव से तालाब का पानी बह जाएगा।

3. **बंधानः**

3.1 तालाब निर्माण के लिए चयनित स्थल पर नदी के दोनों किनारों के बीच समस्त भाग में जहॉ मिट्टी का बॉध बनाना है तथा किनारे के ऊपरी हिस्से की 15 से. मी. की गहराई पर मिट्टी आदि खोदकर हटाई जाना चाहिए।

3.2 बंधान निर्माण जिस स्थान पर किया जाना हो उस स्थान (जिसे ''रंगत'' कहा जाता है) में 15 से.मी. गहराई तक मिट्टी हटाना आवश्यक है।

3.3 नदी/नाले के दोनों किनारे के मध्य में पडल के लिए न्यूनतम 2 मीटर गहराई में बंधान की पूरी चौड़ाई में खुदाई की जाना चाहिए।

3.4 पडल की गहराई बांध की ऊॅचाई से सामान्यतः आधी रखी जाती है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता हैः–

नदी/तालाब से बांध की ऊॅचाई	पानी की उस स्थान पर गहराई	पडल की गहराई
8 मीटर	6.5	3.25 मीटर
7 मीटर	5.5	2.75 मीटर
6 मीटर	4.5	2.27 मीटर
5 मीटर	3.5	1.75 मीटर

4. **पडल भराव (फिलिंग):**

4.1 पडल का भराव (फिलिंग) काली मिट्टी से करना चाहिए। यदि काली मिट्टी उपलब्ध न हो तो चिकनी पीली मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी दशा में पडल के भराव (फिलिंग) में रेतीली मिट्टी, मुरम, बोल्डर, गिट्टी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि काली और चिकनी पीली मिट्टी नहीं होगी तो तालाब से पानी का रिसाव होगा जिससे पानी निकल जायेगा। तेज रिसाव होने पर तालाब की मेढ़ भी टूट सकती है।

4.2 काली/चिकनी मिट्टी से पडल बनाते समय 6 इंच (15 सेंटीमीटर) आकार के बड़े गीले गोले/लड्डू बनाकर पडल के अंदर नीव में भरना चाहिए। 6 इंच आकार के मिट्टी के गोले/लड्डू डालने के बाद उन्हें पैरों से मसलकर पडल को अच्छी तरह से भरकर पैक करना चाहिए।

4.3 पडल भराई नदी/नाले के तल से 2 फीट (60 सेंटीमीटर) की ऊॅचाई तक करना आवश्यक है।

4.4 बांध के निचले हिस्से अर्थात मेड़ में पानी के भराव के दूसरी तरफ नदी के किनारे नाले के भाग में कम से कम 10 मीटर लंबाई में पत्थर/बोल्डर का त्रिकोण बनाना चाहिए। इसे तकनीकी भाषा में "बोल्डर टो" कहते हैं। यह बांध की मजबूती के लिए नितांत आवश्यक है। सबसे पहले 2 फीट (60 सेंटीमीटर) जमीन खोदकर 1 फुट रेत उसके ऊपर एक फुट गिट्टी एवं उसके ऊपर 2 फीट बोल्डर बिछाना चाहिए। इस त्रिकोण में अंदर की ओर भी पत्थरों के ढेर के ऊपर 1 फुट मिट्टी बिछाना चाहिए। उसके ऊपर एक फुट रेत बिछाकर उसके बाद बांध की मिट्टी का भराव करना चाहिए।

5. <u>बांध का स्लोपः</u>— बांध का स्लोप निम्नानुसार होना चाहिएः—

बांध की टाप चौड़ाई 3 मीटर

नदी/नाले तल से ऊँचाई (मीटर में)	मिट्टी के पाल की चौड़ाई स्लोप 2 गुना 1
1	7
2	11
3	15
4	19
5	23
6	27
7	31
8	35
9	39
10	43

6. <u>बांध निर्माण के लिए गुणवत्ताः</u>

6.1 बांध के ऊपर एवं निचले दोनों किनारों पर मुरम का आवरण कम से कम 1 मीटर मोटाई में डाला जाना चाहिए।

6.2 बांध का कार्य पूरी ऊँचाई पर होने के पश्चात ऊपरी भाग में भी 5 सेंटीमीटर मुरम की परत बिछाई जाना चाहिए।

7. <u>कम्पेक्शनः</u> (मिट्टी का दबाना)

बांध में मिट्टी की भराई 30 से.मी. की परत में बिछाकर करना चाहिए और इसे दुरमुट से पानी डालकर कुटाई की जाना चाहिए। इतना पानी न डालें कि मिट्टी कीचड़ में बदल जाये।

8. <u>वेस्टवीयरः</u>

8.1 अतिवृष्टि की दशा में तालाब में अतिशेष पानी की निकासी के लिए तालाब के किसी एक किनारे के ऊपर वेस्टवीयर बनाना चाहिए। वेस्टवीयर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे नाली बनाकर पानी मूल नदी/नाले में छोड़ा जा सके।

8.2 बंधान से वेस्टवीयर की दूरी कम से कम 15 मीटर होना चाहिए जिससे बांध की सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

8.3 वेस्टवीयर की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होना चाहिए।

9. <u>पिचिंगः</u>

जल ग्रहण अर्थात अंदरूनी हिस्से की तरफ बंधान के ऊपर नदी/नाले से बांध की ऊँचाई तक पत्थर/बोल्डर बिछाकर पिंचिंग करना चाहिए।

10. **लागतः**

10.1 नवीन तालाब की लागत की मानक लागत की गणना तालिका निम्नानुसार हैः–

स.क्रं.	औसत ऊंचाई मीटर में	मानक (प्रति मीटर बांध की लम्बाई अनुसार) लागत
1	2	1680/–
2	3	3240/–
3	4	5280/–
4	5	7800/–
5	6	10800/–
6	7	14280/–
7	8	18240/–
8	9	22680/–
9	10	27600/–
10	11	33000/–
11	12	38880/–

10.2 उक्त तालिका में मानक लागत की गणना के लिए बांध की ऊँचाई नदी/नाले के तल के आधार पर भिन्न–भिन्न दूरी पर भिन्न–भिन्न होगी। औसत ऊँचाई के लिए प्रति 3 मीटर बंधान लम्बाई को यूनिट माना जाए। अर्थात तालाब/नदी के तल/किनारों से बांध की ऊँचाई प्रति 3 मीटर की दूरी पर मापी जाए। उदाहरण के लिए 12 मीटर ऊँचाई के तालाब की मानक लागत का गणना प्रपत्र संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार है।

10.3 नवीन तालाब की अधिकतम लागत सीमा रू. 50 लाख तक हो सकेगी और दो वर्ष में तालाब निर्माण पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

10.4 भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण/क्रय करने में कोई व्यय मान्य नहीं होगा। डूब क्षेत्र में निजी भूमि की अदल–बदल कलेक्टर राजस्व विभाग के नियम/निर्देश के तहत कर सकेंगे।

11. **तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ताः**

11.1 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता (कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री) निर्माण के तकनीकी पहलुओं और गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखेंगे।

11.2 डीआरपी तथा तकनीकी एवं वित्तीय प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री के मार्गदर्शन में अधीनस्थ अभियंता बनाएंगे। तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री द्वारा दी जाएगी।

11.3 यदि निर्माण कार्य एक वर्ष में वर्षा ऋतु के पूर्व पूरा नहीं हो सके तो निर्माण कार्य का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि वर्षा ऋतु में निर्माण में क्षति नहीं

हो। उदाहरण के लिए पडल भरने के कार्य को किसी भी दशा में वर्षा के पूर्व पूरा कराया जाए।

11.4 तालाब निर्माण के लिए ले–आऊट सहायक यंत्री द्वारा दिया जाएगा। सहायक यंत्री प्रति सप्ताह न्यूनतम एक बार निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और माह में एक बार माप एवं मूल्यांकन का सत्यापन करेगा।

11.5 उपयंत्री सतत तकनीकी मार्गदर्शन देगा। नियत साप्ताहिक मजदूरी दिवस के पूर्व के दिन माप लेकर एमबी में दर्ज करेगा और मूल्यांकन करेगा।

12. नवीन बांध निर्माण का उदाहरणात्मक रूपांकन परिशिष्ट–2 अनुसार है।

संलग्नः उक्त 2 परिशिष्ट।

21.11.16.

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रं 14038/22/मनरेगा/2016 भोपाल, दिनांक 21/11/2016

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. संभागायुक्त समस्त।
3. राज्य समन्वयक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. समस्त अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
9. समस्त ग्राम पंचायत को वेबसाइट पर प्रकाशन से।
10. ओ.एस.डी., मा. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

21.11.16.

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–1

12 मीटर औसत ऊँचाई के मिट्टी के बांध कार्य की प्रति मीटर लम्बाई की लागत दिनांक 1.11.2016 की स्थिति में

स.क्रं.	विवरण	प्रति मीटर लागत (रू.)
1.	बांध निर्माण हेतु तल स्थल तैयार किये जाने हेतु 15 सें.मी. खुदाई सहित घास एवं झाड़ी सफाई कार्य	180/–
2.	पडल हेतु खुदाई का कार्य	–
	(i) नरम एवं कड़क मिट्टी में	115/–
	(ii) नरम चट्टान खुदाई का कार्य (एकत्रित जल को निकालने सहित)	1440/–
3.	पडल भराई का कार्य	1550/–
4.	बोल्डर टो एवं फिल्टर का निर्माण	5942/–
5.	बांध के तटबंध हेतु मिट्टी का कार्य	9951/–
6.	पानी का छिड़काव करना	3198/–
7.	मिट्टी दबाने का कार्य	4115/–
8.	15 सें.मी. कत्तलों के साथ 22 सें.मी. मोटे पत्थरों से पिचिंग कार्य	3700/–
9.	बांध के नीचे की ओर स्लोप में ऊपरी परत को तैयार कर घ्झास लगाने का कार्य	228/–
10.	अतिरिक्त जल निकासी हेतु नाली निर्माण में सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई का कार्य	6062/-
11.	अन्य विविध व्यय	2399/–
	योग	38880/–

21.11.16

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

छोटे जलाशयों का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत 12 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक

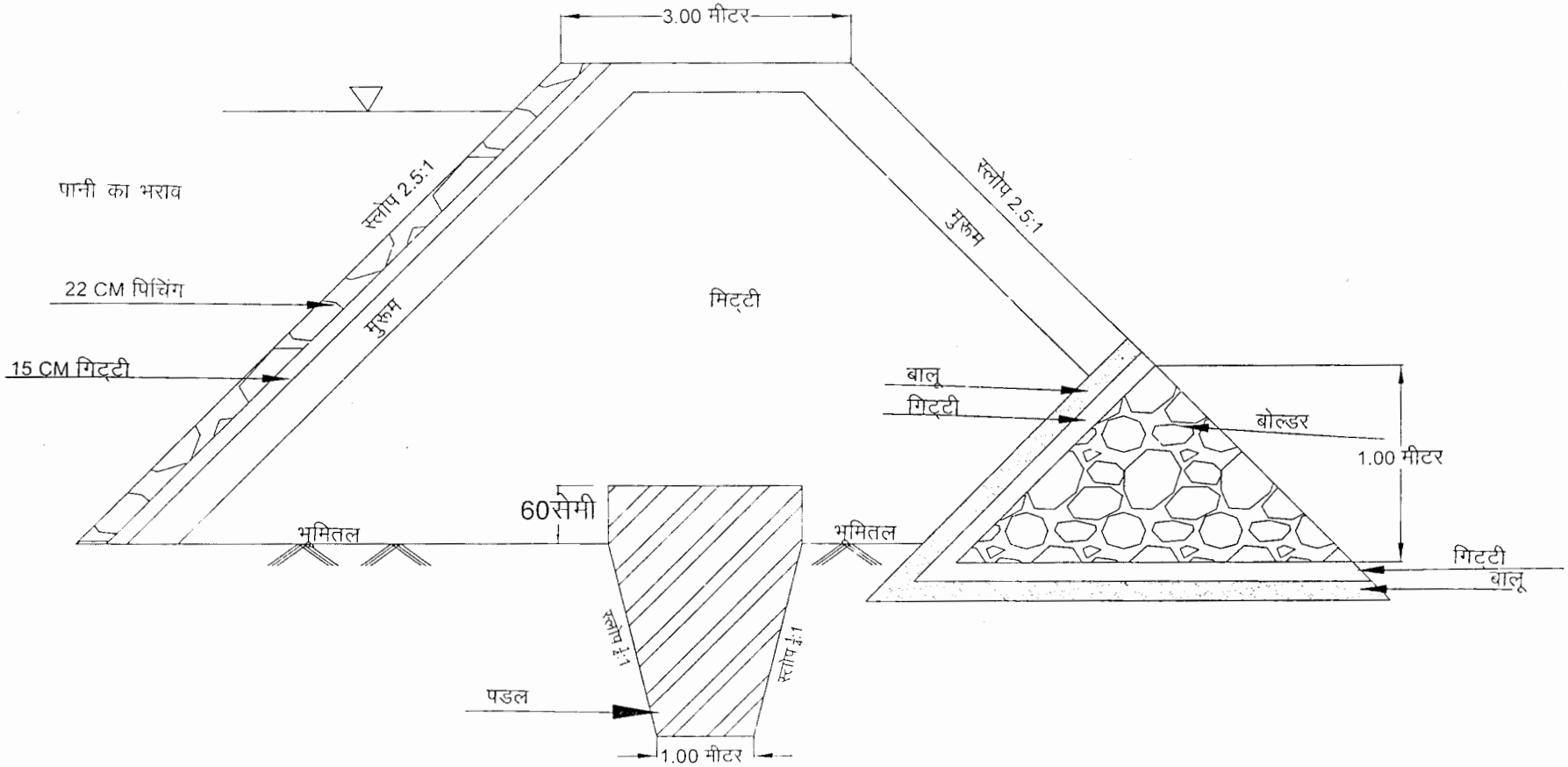

ड्राइंग स्केल के अनुसार नहीं है।

21.12.16

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश